जनजातिय विकास में शिक्षा की भूमिका

गंगा प्रसाद साकेत
शोध छात्र,समाजशास्त्र
अ.प्र.सिंह वि.वि.,रीवा (म.प्र.)

सारांश

स्वतंत्र भारत की एक प्रमुख समस्या रही अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का शून्यपन। इस समस्या के समाधाान के लिये संवैधानिक प्रावधाान किये गये तथा संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। जनजातीय शिक्षा विकास के लिये सन् 1946 टक्कर समिति के रिपोर्ट तहत जनजातियों की निरक्षरता समिति का संकल्प लिया गया था। आजादी प्राप्त के बाद शिक्षा के नियोजित विकास के लिये पूर्व प्रथा के बुनियादी, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा तथा तकनीकी आदि के क्षेत्र में सरकारी योजनाओं को तेज किया गया। समाज और राष्ट्र के विकास में बाधक चार शत्रुओं-अज्ञानता, गरीबी, बेरोजगारी और ऋणग्रस्तता का प्रोत्साहित करती है। रीवा जिले में हनुमना विकासखण्ड के कोल, गोड़ तथा बैगा जनजातियां निवास करती है। इस अध्ययन में 10 ग्रामों का चयन किया गया तथा 300 उत्तरदाताओं से साक्षात्कार विधि द्वारा शोधकर्ता यह जानकारी प्राप्त किया।

मुख्य शब्द- *जनजातिय शिक्षा, ऋणग्रस्तता, संवैधानिक व्यवस्था।*

समाज वैज्ञानिकी अक्टूबर-मार्च 2020-21
अंक-33-34, ISSN 0973-4201
भारतीय समाज विज्ञान परिषद्

प्रस्तावना -

भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की जनसंख्या का लगभग 75 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। देश की जनसंख्या का लगभग 5 प्रतिशत हिस्सा गिरी, कन्दराओं, पर्वत श्रेणियों तथा जंगलों में दूरस्थ स्थान में निवास करता है। भारत के स्वतंत्रता के पूर्व लगभग 86 प्रतिशत जनसंख्या अशिक्षित और निरक्षर थी।[1] शिक्षा का आज के युग में व्यक्ति, परिवार और समाज के लिये जितना महत्व है, इसके पूर्व के काल में उतना नहीं था। जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति और शिक्षा एक दूसरे के पूरक है। बिना शिक्षा के प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती है। व्यक्तित्व की दृष्टि से व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिये शिक्षा आवश्यक है। वही परिवार की प्रगति का मूल्यांकन उसके शिक्षित सदस्यों के आधार पर होता है। किसी भी समाज और राष्ट्र के विकास के लिये शिक्षा आवश्यक है। समाज एवं राष्ट्र के विकास में मूलबाधा अशिक्षा ही है। अशिक्षा समाज और देश के विकास के मार्ग में चार शत्रुओं-अज्ञानता, निर्धनता, बेरोजगारी एवं ऋणग्रस्तता को प्रोत्साहित करती है। जो अशिक्षित है, वह अज्ञानी भी है, अज्ञान का संबंध निर्धन, बेरोजगार और ऋणग्रस्त होने से भी है। सामाजिक दृष्टि में कहावत प्रचलित है कि ''बिना पढ़े मनुष्य पशु के समान है'' उसमें तथा पशु के व्यवहार में कोई अंतर नहीं होता। अत: स्पष्ट है कि आर्थिक सामाजिक और नैतिक विकास के लिये शिक्षा न केवल अपरिहार्य बल्कि सामाजिक दायित्व के रूप में आवश्यक है।

शिक्षा का रूप प्रत्येक काल और प्रत्येक स्थान में समान नहीं रहा। प्रांगैतिहासिक युग में शिक्षा का स्वरुप अनौपचारिक था जो कि लिपि के अभाव में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को व्यावहारिक ज्ञान के रूप में हस्तांतरित होती थी।

शिक्षा को सीख, ज्ञान और प्रशिक्षण के रूप में अनेकों अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। साधारण बोलचाल और संकुचित अर्थ में शिक्षा से भाष्य औपचारिक अक्षर ज्ञान संबंधी शिक्षा से है। जिसे विद्यालयों और महाविद्यालयों के माध्यम से शिक्षक एवं प्राध्यापकों के माध्यम से बताया और सिखाया जाता है।[2]

प्रत्येक नई पीढ़ी को अपनी पुरानी पीढ़ी द्वारा कुछ ज्ञान सामाजिक विरासत से प्राप्त होता है और स्वयं ज्ञान में वृद्धि होती है। ज्ञान की यह परम्परात्मक श्रृंखला ही शिक्षा है। जिसके द्वारा मानव ने अपने मानसिक, आध्यात्मिक प्रगति की है। स्वतंत्रता के पहले भारत में शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करने पर पाया गया कि 1901 से 1951 की स्थिति बिल्कुल असंतोषजनक थी।[3] प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के विकास के साथ-साथ समाज के उच्च वर्ग तथा पिछड़े वर्ग में लोगों के बीच एक दूरी पैदा हो गई थी, उसे समाप्त करने हेतु अनेक व्यवस्थायें की गई है। साधनों के कमी के कारण उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग केवल संगठन और सुधार के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा, अनुसंधान, शिक्षा संबंधी प्रयोग अध्यापकों को प्राथमिकता दी गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21क शिक्षा का अधिकार, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष

की आयु के सभी बालकों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उसी प्रकार की रीति से विधिनुसार अवधारित व्यवस्था करेगा।

अनुच्छेद 45 से 6 से कम आयु के बालकों के लिये प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध राज्य सभी बालकों के लिये 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक देखरेख और शिक्षा के देने के लिये उपबंध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा।[4] साथ ही माध्यमिक शिक्षा एवं विश्वविद्यालयीन शिक्षा के लिये अलग-अलग कमीशन बना दिये और उन्हें पूर्ण अधिकार दे दिया गया कि उनकी विवेचना करके शिक्षा के स्तर को ऊपर उठायें। सामाजिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा अध्यापकों के वेतन और कार्य स्थिति के साथ विद्यार्थियों को श्रम एवं समाज सेवा जैसे कार्यों को भी शिक्षा के साथ जोड़ा गया, परिणामस्वरुप पंचवर्षीय योजनाकाल में साक्षरता में वृद्धि हुई है। सामाजिक प्रगति हुआ। शिक्षा किसी देश के विकास का महत्वपूर्ण तत्व है। यह माना जाता है कि जो राष्ट्र जितना ही शिक्षित होगा उतना ही प्रगतिशील होगा। निर्धनता, पिछड़ेपन तथा शोषण मुक्त समाज की स्थापना का आधार तथा प्रथम आवश्यकता शिक्षा ही है। जब तक कों समाज शिक्षित नहीं होता तब तक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होना संभव नहीं है।[5]

शिक्षा हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये एक मुख्य साधन है और लोगों में आत्म विश्वास उत्पन्न करने का माध्यम है। जिसका संबंध संस्कृति और नैतिक मूल्यों से है। अनेक प्रमख कार्यों में से शिक्षा नवीन सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करती है। शिक्षा स्वनिर्मित आर्थिकता के विकास में सहायक है जिसका आधार विकसित विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान है। शिक्षा व्यक्ति को मानवतावादी मूल्यों के प्रति सजग करने के साथ-साथ अपने व्यक्तित्व के विकास एवं प्रतिष्ठा के लिये प्रयत्नशील बनाती है।[6]

जनजातियों में जो शिक्षा में वृद्धि हुई है, वह शासन की विभिन्न शिक्षा योजनाओं, नि:शुल्क शिक्षा, बालक-बालिका छात्रावास, छात्रवृत्ति, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षिकाओं में आरक्षण, स्टेशनरी, पुस्तक एवं आवास किरायानामा। रीवा जिले में हनुमना विकास खण्ड है यहां पर शिक्षा के लिये लगभग 200 प्राथमिक, 75 माध्यमिक, 15 हाईस्कूल, 12 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा एक महाविद्यालय संचालित है। जनजातियों में शैक्षणिक गतिविधियों का अध्ययन करने के लिये विभिन्न स्रोतों से जानकारी शोधकर्ता द्वारा संकलित की गई है।

पूर्व अध्ययनों की समीक्षा-

प्राचीनकाल से अनेक समाज वैज्ञानिकों ने मानव समाज में शिक्षा की अवधारणाओं को स्पष्ट

करने की दृष्टि से विभिन्न विद्वानों द्वारा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया है। जिसका प्रमुख आधार जातिप्रथा, संयुक्त परिवार और ग्रामीण समाज तथा नगरी समाज रही है। सिंह, दयाशंकर 1976[1] देश की आजादी के पूर्व लगभग 86 प्रतिशत जनसंख्या अशिक्षित और निरक्षर थी। हर्ष कोविट्स 1952[2] , शिक्षा एक अत्यंत जटिल एवं व्यापक प्रक्रिया है। शिक्षा समाजशास्त्रीय अध्ययन का एक नवीन एवं स्वतंत्र उपागम है। जो शैक्षिक प्रक्रियाओं एक अन्त:क्रियात्मक प्रक्रिया मानकर निर्माण, सामाजिक, आर्थिक, गतिशीलता की वृद्धि, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। **रेमन्ट**[3] शिक्षा को विकास की प्रक्रिया कहा है। जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ावस्था तक अनेक तरीकों से अपने भौतिक सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण से अनकूल करना सीखता है। **महात्मा गांधी** (1937[4]) - शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे व मनुष्य के शरीर मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। बुद्ध[5] प्रत्येक मनुष्य को जीने का अधिकार है जिस प्रकार जीने के लिये भोजन आवश्यक है। उसी प्रकाार मानव जीवन के लिये शिक्षा आवश्यक है। शर्मा बी.डी. 1978, शिक्षा वस्तुत: मानव समाज के संचित ज्ञान कोष को नई पीढ़ी के लिये उपबंध कराने का सर्वोत्तम माध्यम है। डॉ. मंगला प्रसाद सिंह 1988[7], शिक्षा व्यक्ति को मानवतावादी मूल्यों के प्रति सजग करने के साथ-साथ अपने व्यक्तित्व के विकास एवं प्रतिष्ठा के लिये प्रयत्नशील बनाती है। भारत सरकार 1981[8] स्वतंत्रता के पूर्व साक्षरता का प्रतिशत 16 प्रतिशत था तथा उस समय जनजातियों में शिक्षा लगभग शून्य थी।

भारत का संविधान 9 राज्य जनता के कमजोर वर्गों विशेषतयां अनुसूचित जाति तथा जनजातियों शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय और सब प्रकारों के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।

मध्यप्रदेश विगत दो दशकों से शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर जनजातीय शिक्षण हेतु तकनीकी संस्थायें खोलकर अपनी इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। रीवा जिले में हनुमना विकासखण्ड है, जहां पर शिक्षा के लिये लगभग 200 प्राथमिक, 75 माध्यमिक, 15 हाईस्कूल, 12 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा एक महाविद्यालय है। शोधकर्ता ने यह जानने का प्रयास किया है कि कमजोर वर्गों में अनुसूचित जनजाति अभी भी शिक्षा में काफी पीछे है।

शोध की प्रकृति एवं शोध उपकरण-

मानव सामाजिक शोध एक वैज्ञानिक योजना है। जिसका उद्देश्य क्रमबद्ध तरीके से नये तथ्यों का अन्वेषण एवं पुराने तथ्यों की पुर्नपरीक्षण तथा उसमें पाये जाने वाले अंत: संबंधों की कारण सहित व्यवस्था, उसको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण है। प्रस्तुत अध्ययन में जनजातियों का विकास शिक्षा पर आधारित है इसके लिये रीवा जिले की हनुमना विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाले

सम्पूर्ण जनजातियों के संख्या में से १० ग्रामों का चयन किया गया है, जिसमें विकासखण्ड की कुल जनजातीय जनसंख्या का 38.67 प्रतिशत शिक्षा के महत्व को जानते समझते है। शिक्षा के महत्व को समझने वाले उत्तरदाता सर्वाधिक पाये गये है। प्रस्तुत शोध अन्वेषणात्मक है जिसका मुख्य उद्देश्य, कोल, गोंड़ तथा बैगा जनजातियों में शिक्षा विकास योजनाओं के माध्यम से कितना प्रभाव पैड़ा है का जानने का प्रयास किया गया हे।

शोध उपकरण-

1. प्राथमिक स्रोत - साक्षात्कार, अवलोकन, वैयक्तिक अध्ययन, सांख्यकीय विधि।
2. द्वितीयक स्रोत - अध्ययन से संबंधित साहित्य, जनगणना, शासन द्वारा प्रकाशित राजपत्र, जनजातियों से संबंधित शिक्षा साहित्यों का सहारा लिया जाना।

उपकल्पनायें -

1. भारत के आजादी के बाद शिक्षा व्यवस्था लागू होने से जनजातियों का पारिवारिक संरचना, सामाजिक स्थिति, वैवाहिक जीवन शिक्षा का प्रभाव बढ़ा है।
2. शिक्षा विकास योजनाओं में इनमें शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा व्यावसायिक वृद्धि में प्रभाव पड़ा है।
3. जनजातीय विकास में बाधक, अशिक्षा, निर्धनता, गरीबी, भूमिहीनता, पिछड़ापन तथा बाह्य सम्पर्क की कमी माना जाता है।
4. शिक्षित जनजातीय समाज का राष्ट्रीय विकास धारा में जुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है।

अध्ययन का महत्व एवं उद्देश्य -

शिक्षा से जनजातियों के जीवन पर पड़ने वाले विकास प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र के कोल, गोंड़ तथा बैगा जनजातियों के जीवन में अवरोधक तत्व क्या हैं, शिक्षा व्यवस्था से जनजातियों के विकास की गति बढ़ाने में सहायक तत्वों को उजागर करना, शिक्षा विकास से आये परिवर्तनों के विभिन्न कारकों का तुलनात्मक प्रभाव ज्ञात करना, जिससे शासन व प्रशासनिक योजनायें प्राप्त होगी। इसमें जनजातीय शिक्षा विकास व्यवस्था की दिशा से प्राप्त अवरोधक तत्वों को दूर करने में योगदाान होगा।

विश्लेषण-

जनजातियों के सर्वांगीण के लिये शिक्षा योजनाओं के माध्यम से सामाजिक,आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक जीवन में विकास की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। शिक्षा योजनाओं का समाज के कमजोर वर्गो विशिष्टतया अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों में लोकप्रिय बनाने तथा उनके जीवन का ठोस अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से शासन की सभी योजनाओं एवं अपने अधिकार को लोकसभा, विधानसभा, स्वशासी निकायों, सहकारिता तथा सहभागिता आदि क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों अनुसूचित जनजाति के लोगों की भागीदारी निरूपित की गई है। इसी आधार पर हनुमना विकासखण्ड के अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा विकास का विश्लेषण आवश्यक है। साक्षात्कार सर्वेक्षण में 10 ग्रामों के 300 उत्तरदाताओं को सम्मिलित कर अध्ययन की जानकारी प्राप्त की गई है, जिसकी व्याख्या निम्न तालिकाओं में प्रस्तुत है:-

तालिका क्रमांक-1

आप शिक्षा के महत्व को समझते हैं

क्रमांक	शिक्षा का महत्व समझने वाले	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	116	38.67
2.	नहीं	96	32
3.	कोई उत्तर नहीं	88	29.33
	योग-	300	100

इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा के महत्व को समझने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 116 अर्थात् 38.67 प्रतिशत है। शिक्षा के महत्व को नहीं समझने वाले 96 अर्थात् 32 प्रतिशत है। शिक्षा के महत्व का कोई उत्तर नहीं देने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 88 अर्थात् 29.33 प्रतिशत है। शिक्षा के महत्व को नहीं और कोई उत्तर नहीं देने वालों की संख्या कम है। शिक्षा के महत्व को समझने वाले उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है, इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा के पैति जनजातियों की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है।

तालिका क्रमांक-2

शिक्षा से किस प्रकार का लाभ समझते हैं

क्रमांक	शिक्षा से लाभ के प्रकार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	शासकीय नौकरी	113	38.67
2.	आरक्षण की सुविधा	81	27
3.	प्रशिक्षण की सुविधा	62	20.67
4.	विकास कार्यो की जानकारी	44	14.66
योग-		300	100

इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा के महत्व को समझने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 116 अर्थात् 38.67 प्रतिशत है। शिक्षा के महत्व को नहीं समझने वाले 96 अर्थात् 32 प्रतिशत है। शिक्षा के महत्व का कोई उत्तर नहीं देने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 88 अर्थात् 29.33 प्रतिशत है। शिक्षा के महत्व को नहीं और कोई उत्तर नहीं देने वालों की संख्या कम है। शिक्षा के महत्व को समझने वाले उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है, इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा के पति जनजातियों की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है।

तालिका क्रमांक 2 से पता चलता है कि शिक्षा विकास से लाभ की स्थिति से ज्ञान, शासन की नौकरी मानने वाले 113 (37.67) प्रतिशत हैं। शिक्षा से आरक्षण का लाभ समझने वाले 81, 27 प्रतिशत हैं। प्रशिक्षण की सुविधा की सुविधा को समझने वाले 62, 20.67 प्रतिशत तथा विकास कार्यक्रमों की जानकारी वाले 44 अर्थात 14.66 प्रतिशत है। प्रशिक्षण की सुविधा को समझने वाले 62 , 20.67 प्रतिशत तथा विकास कार्यक्रमों की जानकारी वाले 44 अर्थात् 14.66 है। सबसे अधिक उत्तरदाता शासकीय नोकरी वाले हैं। अधिक शिक्षा प्राप्त करने वालों को अधिक लाभ शासकीय नौकरी पाने वाले हैं। इसलिये जनजातियों का विकास शिक्षा से ही होना संभव है।

तालिका क्रमांक-3

अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं

क्रमांक	शिक्षा का स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	बहुत उच्च शिक्षा	86	28.67
2.	उच्च शिक्षा	72	24
3.	मध्यम शिक्षा	84	28
4.	मामूली शिक्षा	32	10.67
5.	शिक्षा नहीं	26	8.66
योग-		300	100

तालिका क्रमांक 4 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बहुत उच्च शिक्षा, अपने बच्चों को दिलाने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 86 यानी 28.67 प्रतिशत है। उच्च शिक्षा दिलाने वाले 72 यानि 24 प्रतिशत है। मध्यम शिक्षा दिलाने वाले 84 यानी 28 प्रतिशत है। मामूली शिक्षा बच्चों को दिलाने वालों की संख्या 32 यानी 10.67 प्रतिशत है और बिलकुल शिक्षा नहीं दिलाने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 26 यानी 8. 66 प्रतिशत है। शोधकर्ता चयनित क्षेत्र के 300 अनुसूचित जनजातियों के उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गई है। इस तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि लगभग 29 प्रतिशत जनजातियाँ अपने बच्चों को बहुत उच्च शिक्षा दिलाने के पक्ष में है। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा के प्रति इनके विचारों में परिवर्तन काफी दिखाई दे रहा है, अपना समूल विकास शिक्षा से मानते हैं ।

तालिका क्रमांक-4

अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु कोई सुझाव देना चाहते हैं

क्रमांक	सुझाव के प्रकार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	छात्रवृत्ति समय पर मिले	95	31.67
2.	वाहन सुविधा हो	11	3.66
3.	रोजगारमूलक शिक्षा	89	29.67
4.	स्वास्थ्य परीक्षण	36	12
5.	कोई सुझाव नहीं	69	23
	योग-	300	100

तालिका क्रमांक 4 का अवलोकन करने पर छात्रवृत्ति समय पर मिले के पक्ष में सर्वाधिक 95 अर्थात् 31.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपना सुझाव दिया है। वाहन की सुविधा हो, शासन द्वारा किया है। शिक्षा के महत्व को नहीं समझने वाले 96 अर्थात् 32 प्रतिशत है। शिक्षा के महत्व का कोई उत्तर नहीं देने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 88 अर्थात् 29.33 प्रतिशत है। शिक्षा के महत्व को नहीं और कोई उत्तर नहीं देने वालों की संख्या कम है। शिक्षा के महत्व को समझने वाले उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है, इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा के प्रति जनजातियों की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है। शासन वाहन सुविधा करें, शिक्षा रोजगार परख हो, स्वास्थ्य परीक्षण समय-समय पर हो एवं सुविधा सुलभ हो, ऐसा मानने वाले लगभग 77 प्रतिशत लोग पाये गये।

निष्कर्ष एवं सुझाव-

निष्कर्ष रुप में कहा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में जनजातियों के विकास में शिक्षा एवं सामाजिक जीवन में पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया है। शिक्षा के प्रसार एवं प्रगति से देश के विकास को जाना जा सकता है। शिक्षा से यह अनुमान लगाया जाता है कि कोई देश कितना विकास एवं प्रगति कर रहा है। शिक्षा विकास और प्रगति का एक प्रमुख कारक है। शिक्षा पिछड़ेपन एवं शोषण मुक्त समाज की स्थापना का प्रमुख आधार है। शिक्षा ही वह माध्यम है, जिसके द्वारा परम्परावादी दृष्टिकोण तथा अंधविश्वास से हटाकर आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा की तरफ मोड़ा जा सकता है। माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राय: जनजातियों में बढ़ी है। जनजातियों के विकास में बाधक के रूप में अशिक्षा, अंधविश्वास, निर्धनता, पिछड़ापन एक प्रमुख कारक है। इनके सामाजिक जीवन में विकास की राह में सबसे बड़ा अवरोधक अशिक्षा है, जिसे दूर करके देश विकास के मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है। जनजातीय समाज के लोग आज भी कुण्टा और गतिहीनता की परिधि से पूर्णतया बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, यह चिंतनीय एवं चुनौतीपूर्ण विषय है।

शिक्षा के महत्व को लगभग 39 प्रतिशत लोगों ने समझा है 61 प्रतिशत के लगभग नहीं और कोई उत्तर नहीं दिया, इससे यह पाया जाता है कि अशिक्षा के परिधि से बधे हैं। वहीं लगभग 38 प्रतिशत शासकीय नौकरी को लाभ माना है। लगभग 62 प्रतिशत आरक्षण, प्रशिक्षण और विकास कार्य को लाभ माना है। बहुत उच्च शिक्षा एवं छात्रवृत्ति समय पर मिले के पक्ष में 86 अर्थात् 28.67 प्रतिशत एवं 95 अर्थात् 32 प्रतिशत समय छात्रवृत्ति मिले को सुझाव दिया साथ ही शासन विद्यालय, वाहन सुविधा, रोजगार शिक्षा, स्वास्थ्य की देख रेख समय समय पर हो ऐसा लगभग 77 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना हैं।

शैक्षणिक सुविधाओं का ध्यान में रखकर प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, पूर्व माध्यमिक शिक्षा, महाविद्यालयीन, तकनीकीय, व्यवसायिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा नैतिक शिक्षा आदि सुविधाओं को जनजातियों तक पहुंचाने के लिये शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं विकासखण्डों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है।

यह देश विकास में जनजातीय शिक्षा विकास एवं शक्तिशाली पक्ष होगा। इसलिये शासन स्तर पर, समाज सुधारकों द्वारा तथा अनुसंधानकर्ताओं द्वारा जनजातीय समाज में शिक्षा विकास का सुझाव देना आवश्यक होगा, क्योंकि प्रत्येक जनजाति का रहन-सहन, विचार, व्यवहार, संस्कृति एक समान नहीं है।

संदर्भग्रंथ सूची-

1. सिंह, दयाशंकर (1976)*अनुसूचित जनजातियों में परिवर्तन के कुछ पक्ष,* अप्रकाशित शोध प्रबंध हिन्दू विश्वविद्यालय, पृ.सं. 110.
2. अटल,योगेश (1965)आदिवासी भारत, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली,पृ.सं. 227.
3. शर्मा, बी.डी. (1978), *आदिवासियों में शैक्षणिक विकास के लिये आयोजन,* गृह मंत्रालय, भारत सरकार, पृ.सं. 227.
4. *भारत का संविधान,* पृ.सं. 103 एवं 109
5. सिंह, रामबड़ाई,(1998) *विकास योजनाओं का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव,* अप्रकाशित शोध प्रबंध समाजशास्त्र विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, पृ.सं. 176.
6. सिंह, मंगला प्रसाद, (1998) *मध्यप्रदेश की जनजातियों पर विकास कार्यक्रमों का प्रभाव,* अप्रकाशित शोध प्रबंध काशी विद्यापीठ, वाराणसी, पृ.सं. 227.